



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1945 (श10)  
(सं0 पटना 610) पटना, बुधवार, 26 जुलाई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2023

अधिसूचना संख्या 08/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ०.227, दिनांक 26 जुलाई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 556, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

प्रधान अधिसूचना में, अनुबंध III में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "मैंने हमने/एस जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।" के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों "मैंने हमने बीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)08)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 जुलाई 2023

एस० ओ० 227, दिनांक 26 जुलाई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)08)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 26<sup>th</sup> July 2023*

**Notification No. 08/2023- State Tax (Rate)**

S.O. 227 Date 26 July 2023- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department Notification No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, 556, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the notification, in Annexure III, for the words and figures “during the Financial Year \_\_\_\_ under forward charge”, the words and figures “from the Financial Year \_\_\_\_ under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 27<sup>th</sup> July, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 08)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**

**बिहार गजट (असाधारण) 610-571+10-डी०टी०पी०**

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**